न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 15/11

1. जगदीश पुत्र बुधराम जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. सहीराम पुत्र बुधराम जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. सुरजाराम पुत्र सुलतान जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. श्रवणराम पुत्र सुलतान जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अपीलांट

बनाम

1. जीतासिंह पुत्र बिरामसिंह जाति बाजीगर निवासी 20 केवाइडी तहसील खाजूवाला।
2. ग्राम पंचायत सियासर चौगान जरिये सरपंच पंचायत समिती खाजूवाला।
3. सायरी बेवा हापूराम
4. सोहन पुत्र हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
5. बाबूलाल पुत्र हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
6. शान्ति पुत्री हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
7. मुनकी पुत्री हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
8. गलकी पुत्री हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
9. मोरकी पुत्री हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
10. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री सुभाष विश्नोई विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से ।
3. पैरोकार राज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक.....**

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेश की गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि चक 7 एसएसएम के मु0नं0 47/31 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 25.00 बीघा एवं मु0नं0 47/39 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 25.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड जिसमें 18.00 कमाण्ड एवं 32.00 अनकमाण्ड कुल 50.00 बीघा भूमि हापूराम पुत्र भगाराम को आंवटनशुदा थी। अपीलांट ने ही हापूराम की जीवनकाल में सेवाचाकरी और हापूराम ने स्वेच्छा से रूबरू गवाहान दिनांक 12.05.1989 को उक्त भूमि की वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में कर दी थी। हापूराम का देहान्त दिनांक 15.12.2000 को जाने के बाद अपीलांट ही लगातार उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त कर रहा है तथा समस्त किश्तें खजाना राज में जमा करवाकर और काफी खर्चा कर सिंचाई योग्य कर भूमि को खेती लायक बनाया। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट्स सं0 3 ता 9 ने इकतरफातौर पर अपने नाम विरासतन दर्ज करवाने की जानकारी अपीलांट को हुई तो रेस्पोडेन्ट्स सं0 3 ता 9 ने उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट सं0 1 को बेचान कर दी। जिसमें बैयनामा दिनांक 11.02.2011 को होना बताया है और आर. आई दन्तौर ने एडवांस में ही दिनांक 21.01.2011 को रिकार्ड से मिलान कर दिया जो स्वतः ही निष्प्रभावी आदेश है जिसमें ग्राम पंचायत ने भी अपना योगदान दिया और बिना मौका निरीक्षण, बिना ग्राम सभा में प्रस्ताव लिये बिना तारीख उक्त जैर अपील आदेश पारित कर दिया और पटवारी हल्का ने जमाबंदी में दर्ज करते वक्त नोट लगाया ना.स. 48 दिनांक 07.03.2011 से बैयनामा अनुसार दर्ज किया गया जो प्राकृतिक न्याय के एकदम खिलाफ व काबिले खारिजी है। अपीलांट ने उक्त जैरअपील आदेश इंतकाल सं0 48 दिनांक 21.01.2011 को निरस्त कर अपीलांट के नाम वसीयत के तौर पर पुनः इंतकाल दर्ज करने के आदेश की इस्तदुवा की है।

सर्वप्रथम अपील पेश होने पर रिपोर्ट पश्चात दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को सम्मन से तलब किया गया दिनांक 07.07.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प में ग्रा.प. सियासर चौगान उपस्थित हुई और रेस्पोडेन्ट सं01 द्वारा प्राथमिक आपत्ति पेश की गई। । बहस सुनी गई ।

सर्वप्रथम मियाद के प्रार्थना पत्र पर देखा गया जिसमें अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर मियाद कण्डोन ईस्तदुवा चाही है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने जिसका कोई खण्डन नहीं किया है। इसलिए उक्त अपील अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है।

दौराने बहस अपील अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। जिसे निरस्त कर अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में

बताया जैरअपील इंतकाल सं0 48 दिनांक 21.01.2011 दर्ज करते समय अपीलांट वसीयतानुसार वारिस थे ।
जिसका नाम सहवन से अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया तथा रेस्पोडेन्ट्स के नाम इंतकाल दर्ज कर दिया । इसी दौरान रेस्पोडेन्ट्स सं0 3 ता 9 ने इकतरफातौर पर अपने नाम विरासतन दर्ज करवाने की जानकारी अपीलांट को हुई तो रेस्पोडेन्ट्स सं0 3 ता 9 ने उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट सं0 1 को बेचान कर दी। जिसमें बैयनामा दिनांक 11.02. 2011 को होना बताया है और आर.आई दन्तौर ने एडवांस में ही दिनांक 21.01.2011 को रिकार्ड से मिलान कर दिया जो स्वतः ही निष्प्रभावी आदेश है जिसमें ग्राम पंचायत ने भी अपना योगदान दिया और बिना मौका निरीक्षण, बिना ग्राम सभा में प्रस्ताव लिये बिना तारीख उक्त जैर अपील आदेश पारित कर दिया और पटवारी हल्का ने जमाबंदी में दर्ज करते वक्त नोट लगाया ना.स. 48 दिनांक 07.03.2011 से बैयनामा अनुसार दर्ज किया गया जो प्राकृतिक न्याय के एकदम खिलाफ व काबिले खारिजी है। रेस्पोडेन्ट ने फार्म नं0 3 के साथ कुछ फोटो प्रतियां 145 सीआरपीसी से सम्बंधित पेश की है तथा बहाली आदेश एवं इंतकाल प्रति पेश की और बताया की उक्त भूमि रिसिवर हुई थी तथा निगरानी जैरकार है वकील अपीलांट ने बताया की वह अलग पक्षकार है तथा अपीलांट उसमें पक्षकार नहीं है तथा जैरअपील में जो विधिक त्रुटियां है उसके खिलाफ न्यायालय में आये है जिसे सक्षम न्यायालय ही दुरस्त/निरस्त कर सकता है दिवानी प्रक्रिया अलग है। इसलिये उक्त दस्तावेजो का जैर अपील से सम्बंध नहीं रह जाता है।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व दृष्टांतो के साथ विद्वान अधिवक्ताओं के बहस का ध्यानपूर्वक से अवलोकन किया । अपीलांट्स ने अपने नाम वसीयतनामा पेश किया की कृषि भूमि का विरासतन इंतकाल सं0 48 दिनांक 21.01.2011 प्रस्तुत करते समय अपीलांट्स को पक्षकार ही नहीं बनाया गया ना ही अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स का नाम है। अतः अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति दी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल सं0 48 दिनांक 21.01.2011 का भी अवलोकन व अध्ययन किया। जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने प्राथमिक आपत्ति पेश कि है उसमें कहीं भी पैन त्रुटि या तारीखों बाबत् खण्डन नहीं किया है अपनी आपत्ति में पैरा 2 में साथ लिखते है कि बैयनामा 11.02.2011 को करवाया गया था उसकी पालना में इन्तकाल सं0 48 दिनांक 21.01.2011 को दर्ज किया गया है जो अपीलांट के कथनों को स्वतः ही साबित करते है तथा जमाबंदी अंकन में इन्तकाल सं0 48 दिनांक 07.03.2011 अंकन इससे साफ जाहिर है कि इन्तकाल दर्ज करने में अनियमितता बरती गई है और यह बैकडेट में दर्ज करने का प्रयास भी हो सकता है। सन्देह उत्पन्न करता है तथा अपीलांट ने अपना कब्जा बताया है ऐसी स्थिति में राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान सरकार के परिपत्र में पत्रांक/रा.म./भु.अ./जी–3/प–301/05/5659 दिनांक 09/05/2008 के अनुसार भले ही रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज हो लेकिन कब्जा सिद्ध नहीं करने पर इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में उक्त इन्तकाल कायम रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन इंतकाल सं0 48 दिनांक 21.01.2011 चक 7 एसएसएम निरस्त किया जाकर तथा तहसीलदार खाजूवाला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि

रेस्पोडेन्ट सं0 1 के बैयनामा दिनांक 11.02.2011 को एवं कब्जा की जांच करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2020.05.18 12:26:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: